यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभारी चकित्साधकारी प्राथमक स्वास्थ्य केंद्र कालसी देहारादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभारी चकित्साधकारी प्राथमक स्वास्थ्य केंद्र कालसी देहारादून के माह 04/2012 से 01/2018 तक के लेखा अभलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पुष्पेंद्र चतुर्वेदी, लेखापरीक्षक, श्री देवेंद्र कुमार दिवाकर सहायक लेखापरीक्षा अधकारी द्वारा दिनांक 19/02/2018 से 22/02/2018 तक श्री डी॰ के॰ पपलानी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधकारी के आंशक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. <u>परिचयात्मकः</u> इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है

(ii) (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलक अधकार क्षेत्रः कालसी के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण आँचल मे चकित्सा सुवधाए उपलब्ध कराना।

(iii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराश लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13	शून्य	शून्य	150.86	134.15	213.46	206.17	-	23.99
2013-14	शून्य	शून्य	173.13	145.47	287.20	261.20	-	53.91
2014-15	शून्य	शून्य	126.80	114.91	296.32	291.95	-	17.38
2015-16	शून्य	शून्य	101.28	91.50	378.41	312.31	-	75.88
2016-17	शून्य	शून्य	91.32	71.06	413.94	344.46	-	89.74
2017-18 (01/2018)	शून्य	शून्य	--	--	464.60	392.58	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नधि एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधक्य (+)	बजट **C.M.O.** को वापस
2012-13	RCH Flexipool	3.76	24.35	22.97	0.45

	NHM Additionalaties	0.10	30.10	29.59	0.07
	Routine immunization	0.01	10.10	8.19	0
2013-14	RCH Flexipool	4.69	34.06	37.38	0
	NHM Additionalaties	0.54	9.45	8.31	0
	Routine immunization	1.92	7.87	9.13	0
2014-15	RCH Flexipool	2.42	62.05	61.07	0
	NHM Additionalaties	1.68	22.14	18.76	3.33
	Routine immunization	0.66	8.91	8.52	0
2015-16	RCH Flexipool	3.40	56.18	52.55	1.38
	NHM Additionalaties	1.73	26.74	22.61	2.46
	Routine immunization	1.05	8.85	9.02	0
2016-17	RCH Flexipool	5.66	52.12	49.07	3.20
	NHM Additionalaties	3.40	44.89	23.57	2.69
	Routine immunization	0.87	6.52	5.51	1.57
2017-18	RCH Flexipool	5.50	17.68	13.35	5.86
	NHM Additionalaties	22.04	22.42	39.79	0.72
	Routine immunization	0.32	4.46	4.04	0

(iv) इकाई को बजट आवंटन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई श्रेणी C की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

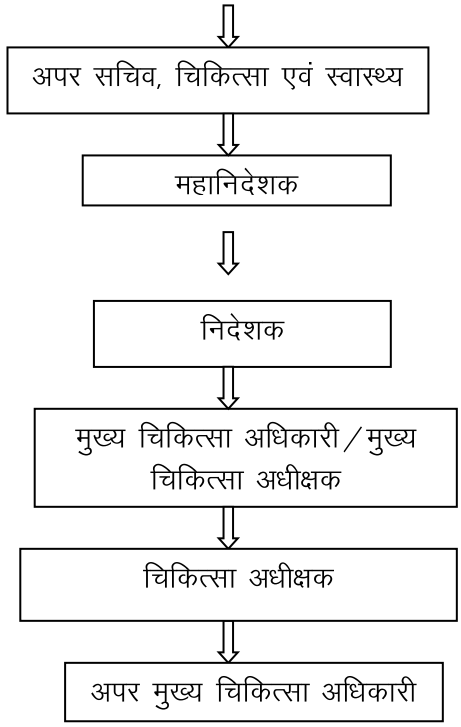

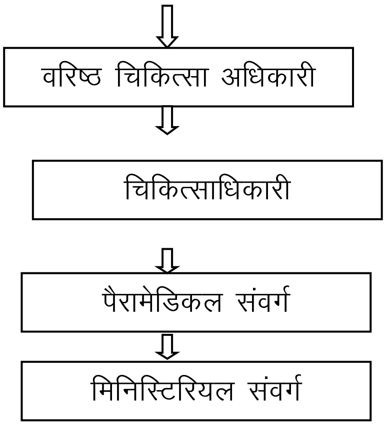

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में प्रभारी च कत्सा धकारी प्राथ मक स्वास्थ्य केंद्र कालसी देहारादून को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभारी च कत्सा धकारी प्राथ मक स्वास्थ्य केंद्र कालसी देहारादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2017, 08/2016 एवं 08/2013 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर 1: जननी सुरक्षा योजना योजना के अंतर्गत रु 19.15 लाख के अनियमित व्यय

राष्ट्रीय कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2005 मे प्रारम्भ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती माहिलाओ को संस्थागत प्रस्व के लए प्रोत्साहित करना था ताक मातृ एवं शशु मृत्यु की दर को कम कया जा सके जननी सुरक्षा योजना की निर्देशका के अनुसार सरकारी अस्पतालों मे संस्थागत प्रसव कराने पर माहिलाओ को प्रोत्साहन राश के रूप मे ग्रामीण क्षेत्र मे रु 1400 एवं शहरी क्षेत्र मे रु 1000 का भुगतान चैक के माध्यम से कया जाना चाहिए । योजना के अधीन प्रोत्साहन निध के वतरण हेतु निर्धारित शर्तो के अनुसार (i) प्रसव की संभावत तिथ से 16 से 20 सप्ताह पूर्व प्रत्येक महिला लाभार्थी हेतु जे॰एस॰वाई॰ कार्ड भरा जाना चाहिए एवं सभी वांछित दस्तावेजो सहित उसे प्रसव की संभावत तिथ से 2 सप्ताह पूर्व संबन्धित स्वास्थ्य केंद्र के अधकृत चकत्सा अधकारी के पास सत्यापन हेतु प्रस्तुत कया जाना चाहिए ताक लाभार्थी को डस्चार्ज करते समय प्रोत्साहन राश प्रदान की जा सके (ii) लाभार्थी को प्रसव के पश्चात कम से कम 48 घंटे स्वास्थ्य केंद्र मे रुकना आवश्यक है, (iii) लाभार्थी को चकत्सालय से डस्चार्ज करते समय अनिवार्य रूप से देय राश का भुगतान कया जाना चाहिए एवं (iv) प्रसव के सात दिन पूर्व या सात दिन पश्चात कया गया कोई भी भुगतान अवैध माना जाएगा। इसके अतिरिक्त आशाओ को नगद प्रोत्साहन राश दो कश्तों मे दी जाएगी, जिसमे प्रथम 50 प्रतिशत राश लाभार्थी महिला के स्वास्थ्य केंद्र से डस्चार्ज के पश्चात दी जाएगी वशर्ते संबन्धित आशा गर्भवती महिला के साथ स्वास्थ्य केंद्र मे प्रसव के समय रही हो तथा अवशेष 50 प्रतिशत राश प्रसव के एक माह के पश्चात दी जाएगी जब बी॰सी॰जी॰ वैक्सीन बच्चे को दी गयी हो और नवजात शशुओ के जन्म के समय आशा ने देखभाल और जन्म के पंजीकरण मे सहायता की हो।

कार्यालय प्रभारी चकत्साधकारी, प्राथमक स्वास्थ्य केंद्र, कालसी के जननी सुरक्षा योजना से संबन्धित लेखा अभलेखों की नमूना जांच मे पाया गया क केंद्र मे वर्ष 2012-13 से 01/2018 तक कुल 807 संस्थागत प्रसव हुये, जिनको ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित रु 1400 एवं शहरी क्षेत्र हेतु निर्धारित रु 1000 की दर से 807 लाभार्थयो को 11.19 लाख का भुगतान कया गया। तथा आशाओ को रु 7.96 लाख का भुगतान कया गया। भुगतान का ववरण संलग्न है

अभलेखो की जांच मे पाया गया क 04/2015 से 01/2018 तक की अवध मे जननी सुरक्षा के प्रत्येक मामले मे JSY कार्ड प्रसव के समय या प्रसव के बाद भरे गए थे, जबक दिशा निर्देशों के

अनुसार JSY कार्ड प्रसव की संभा वत ति थ से 16-20 सप्ताह पूर्व भरा जाना चाहिए एवं प्रसव के बाद च कत्सा धकारी को भुगतान के इस बात का प्रमाण पत्र देना चाहिए था क लाभार्थी JSY के मानदंडो के अनुसार लाभ प्राप्त करने के पात्र है। लाभार्थी को प्रसव के पश्चात कम से कम 48 घंटे स्वास्थ्य केंद्र मे रुकना आवश्यक है, परंतु 807 लाभार्थी मे से मात्र एक लाभार्थी ही 48 घण्टे तक केंद्र पर रुकी। एवं 1257 आशाओं की रु 7.54 लाख का भुगतान एक ही कश्त मे कया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर प्रभारी च कत्सा धकारी ने आप त स्वीकार करते हुये अवगत कराया क JSY कार्ड प्रसव के समय ही भरे गये, लाभार्थी के आग्रह के बाद ही उन्हे डस्चार्ज कया जाता है एवं जिला स्तर से निर्देश प्राप्त होने के बाद आशाओ को एक कश्त मे भुगतान कया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क कसी भी स्तर पर दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं कया गया।

अतः जननी सुरक्षा योजना योजना के अंतर्गत रु 18.73 लाख के अनिय मत व्यय का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

वर्ष	क्षेत्र	कुल संस्थागत प्रसवों की संख्या	48 घंटे रुकने वाले लाभा र्थयो की संख्या	48 घंटे से कम रुकने वाले लाभा र्थयो की संख्या	भुगतान कए गए लाभा र्थ यो की संख्या	देय धनरा श	आशाओ की संख्या (एक ही कश्त मे देय रा श)	आशाओ को भुगतान
2012—13	ग्रामीण	101	0	101	101	132400	0	0
2013-14	ग्रामीण	75	0	75	75	103500	177	106200
2014-15	ग्रामीण	287	0	287	287	401300	367	220200
2015-16	ग्रामीण	193	0	193	193	270200	293	175800
2016-17	ग्रामीण	89	1	88	89	124600	292	175200
2017-18 (01/2018 तक)	ग्रामीण	62	0	62	62	86800	128	76800
कुल		**807**	**1**	**806**	**807**	**1118800**	**1257**	**754200**

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-2- च कत्सकों को वाहन भत्ते के रूप मे रु 1.24 लाख का अनिय मत भुगतान।

उत्तर प्रदेश सरकार के पत्रांक संख्या महा0 निदे0(सी)/या0 भ0/2002/2224 लखनऊ, दिनांक 06 सतंबर, 2000 के अनुसार पीएमएचएस एवं दंत च कत्सक सेवा वर्ग के च कत्सा धकारियों को कतिपय शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ शासनादेश संख्या सा-4-229/दस 2000-626-2000 दिनांक 10 मार्च 2000 द्वारा वाहन भत्ता भी पुनरी क्षत की गयी थी ।

इस संबंध में यह भी आदे शत कया गया था क वाहन भत्ता च कत्सकों को उनके सामान्य कार्य के घंटों के अतिरित माह में कम से कम 25 वजिट पर ही अनुमान्य होगा एवं इसके लए वजिट रजिस्टर रखना होगा। महीने के अंत में प्रत्येक च कत्सक अपने पास रखे वजिट रजिस्टर को अपने अगले उच्चा धकारी को दिखाकर यह प्रमाण पत्र दे क उसने महीने में आवश्यक 25 अतिरिक्त वजिट पूरी कर ली है। उक्त निर्देशों को कड़ाई से पालन करने हेतु भी निर्दे शत कया गया था ।

साथ ही उत्तराखण्ड शासन के वत्त (वे0 अ0- सा0 नि0) अनु0-7 संख्या-700/XXVII(7)30(5)/2013 दिनांक 16 सतंबर 2013 के अनुसार सरकारी कार्य में की जाने वाली यात्राओं में उपयोग करने हेतु वत्तीय नियमों वाहन भत्ता पुनरी क्षत कया गया था जिसके अनुसार मोटर कार (जहां औसत स्थानीय यात्रा प्रतिमाह 400 Km से अ धक हो) को रु 1000/- से पुनरी क्षत कर रु 2700/- कर दिया गया था।
कार्यालय के लेखा अ भलेखों में जांच में यह पाया गया क 02 च कत्सकों द्वारा वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक रु 1.24 लाख (संलग्न ववरण के अनुसार) का वाहन भत्ता दिया गया था जब क कसी भी च कत्सक द्वारा वजिट रजिस्टर नही बनाया गया था और नही इस प्रकार का कोई प्रमाण पत्र उनके द्वारा प्रस्तुत कया गया था जिससे यह प्रमा णत कया जा सके क उनके द्वारा अतिरिक्त 25 वजिट पूरी कर ली हो बावजूद इसके उनको वाहन भत्ता अनुमन्य दिया जा रहा था जो लेखा परीक्षा ति थ तक जारी था तथा अनिय मत था।

लेखा परीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर प्रभारी च कत्सा धकारी द्वारा आप त्त स्वीकार करते हुये अवगत कराया गया क भ्रमण कार्यक्रम इमरजेंसी पंजिका के द्वारा प्रमा णत कया जा सकता है एवं वजिट पंजिका बना दी जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क बिना वजिटिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत कए, वाहन भत्ता अनुमन्य कया गया था।

अतः च कत्सकों को वाहन भत्ते के रूप मे रु 1.24 लाख का अनिय मत भुगतान का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

---शून्य---

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्रभारी च कत्सा धकारी प्राथ मक स्वास्थ्य केंद्र कालसी देहारादून तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) जी॰पी॰एफ॰ लेजर

2. सतत् अनिय मतताएः

(i)

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

	क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	1	डा॰ नीरज राय	प्रभारी च कत्सा अ धकारी
(ii)	2	डा॰ वक्रम संह	प्रभारी च कत्सा अ धकारी
(iii)	3	डा॰ प्रदीप उनियाल	प्रभारी च कत्सा अ धकारी
(iv)	4	डा॰ राजीव कुमार दी क्षत	प्रभारी च कत्सा अ धकारी

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति प्रभारी च कत्सा धकारी प्राथ मक स्वास्थ्य केंद्र कालसी देहारादून को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रे षत कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सामाजिक क्षेत्र